

सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND
CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलेंड, कोचीन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-266846

<u>सतर्कता परिपत्र 01/2025</u> VIGILANCE CIRCULAR 01/2025

विषय: वर्ष 2024 (01.01.2025 तक) के लिए वार्षिक अचल संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत करने - से संबंधित।

Subject: Furnishing of the Annual Immovable Property Returns for the year 2024 (as on 01.01.2025) - Reg.

सीमा शुल्क गृह के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्ष 2024 (01.01.2025 तक) के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (आई. पी. आर.) सीमा शुल्क गृह के वेबसाईट https://www.cochincustoms.gov.in/index.php/forms में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में 31 जनवरी, 2025 के पूर्व प्रस्तुत करें।

All the staff members of this Custom House are directed to furnish their Annual Immovable Property Returns (IPRs) for the year 2024 (as on 01.01.2025) on or before 31st January, 2025 in the prescribed proforma available at the website of Cochin Customs - https://www.cochincustoms.gov.in/index.php/forms.

2. इस सीमा शुल्क गृह के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उनकी या उनके परिवार के किसी सदस्य या सी सी एस (आचरण) नियम के नियम संख्या 18(1) के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रहने वाली अचल संपत्ति जो पैतृक, क्रय की गई, प्राप्त की गई या पट्टे या गिरवी पर रखी गई हो, के बारे में पूर्ण विवरण प्रदान करें। इस संबंध में दी गई पूर्व सूचना / अनुमित का विवरण संपत्ति विवरणी में संलग्न किया जाएं। अचल संपत्ति विवरणी, जो किसी भी अपेक्षित विवरण में अपूर्ण या न्यून है, उसे अभिलेखित नहीं किया जाएंगा और यह माना जाएंगा कि संबंधित कर्मचारी ने वर्ष के लिए अपनी अचल संपत्ति विवरण को प्रस्तुत नहीं किया है। नए भर्ती हए अधिकारी पूर्वोक्त नियम 18 (1) (i) के तहत

निर्धारित प्रपत्र में अपनी विवरणी जमा करेंगे।

All the staff members of this Custom House are directed to give the full particulars regarding the immovable property inherited by them or owned or acquired by them or held by them on lease or mortgage either in their own name or in the name of any member of their family or in the name of any other person under Rule 18(1) of CCS (Conduct) Rules. The details of prior intimation given/permission taken in this regard may be annexed to the property return. The Immovable Property Returns that are incomplete or deficient in any of the requisite details will not be taken on record and it will be deemed that the concerned staff member has not furnished their Immovable Property Return for the year. Newly recruited officers shall submit their returns in the prescribed form under Rule 18(1) (i) of rules *ibid*.

3. इस विषय पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार, निर्धारित तिथि के भीतर आई. पी. आर. जमा नहीं करने पर मनोनयन, प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील पदों पर आवेदन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्दिष्ट करने (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि उक्त उद्देश्यों के लिए आई. पी. आर. स्थिति की जाँच की जानी होती है।

As per extant instructions on the subject, non-submission of IPR within the stipulated date would invite denial of Vigilance clearance for empanelment, deputation, applying to sensitive posts and assignment to training programs (except mandatory training) as the IPR status needs to be checked for the said purposes.

4. इन निर्देशों का गैर-अनुपालन गंभीरता से देखा जाएगा और बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक ए पी ए आर फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें संबंधित अधिकारी को यह इंगित करना आवश्यक होता है कि क्या आई. पी. आर. समय पर प्रस्तुत किया गया था और इस संबंध में प्रस्तुत किसी भी गलत जानकारी को कदाचार माना जाएगा।

Non-compliance of these instructions will be viewed seriously and action will be initiated against the defaulters. It is also to be noted that every APAR form contains a column wherein the officer concerned is required to indicate whether the IPR was submitted in time and any false information furnished in this regard will be considered as misconduct.

(गुरकरण सिंह बैंस GURKARAN SINGH BAINS) सीमा ग्रुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति То

- 1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी All Officers and Staff members.
- 2. सीमा शुल्क अधीक्षक (ई. डी. आई.) सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु। Superintendent of Customs (EDI) - For publishing in the website of Custom House, Cochin.
- 3. सूचना पष्ट Notice Board.